प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा के पटल पर रखने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य में जिला अस्पतालों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं और रोगी देखभाल की गुणवत्ता का आकलन करने के उद्देश्य से 2014-19 की अवधि को आच्छादित करते हुए झारखण्ड में जिला अस्पताल के परिणामों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा 2019-20 के दौरान की गई।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों के अनुसार तैयार की गई है।